



चित्रकूट पुलिस



(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियो टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वाडों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2. महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3. बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारी दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओं की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओं को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वाड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कॉलेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओं एवं बालिकाओं का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रूप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतों को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रूप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक द्वारा गोली मारने की धमकी देकर जबरन मोबाइल फोन व नगदी छीनने तथा जनवासे में तोड़फोड़ करने के आरोपी अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास एवं कुल ₹8,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय, प्रभारी मानिट्रिंग सेल श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोपाल दास द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट चित्रकूट श्री राममणि पाठक द्वारा दिनांक 24.09.2026 को पैरवी हेतु मुख्यालय से चिन्हित थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2017 धारा 386,147,148,504,506,427 भादवि व 14 डीए एक्ट के आरोपी अभियुक्त रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कारावास व 8,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.05.2021 को वादी राजेन्द्र रैदास पुत्र गौरी रैदास निवासी ग्राम लक्ष्मनपुर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मानिकपुर में सूचना दिया कि बबली कोल व 07-08 बदमाश अज्ञात द्वारा गोली मारने की धमकी देकर मोबाइल फोन व नगदी जबरन ले लिया तथा जनवासे में ट्यूब लाइट व कुर्सी आदि की तोड़ फोड़ की एवं मना करने पर मारपीट गाली गलौच व जान से मारने की धमकी दी गयी। सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 103/2017 धारा 386,147,148,504,506,427 भादवि व 14 डीए एक्ट बनाम बबुली कोल सहित 07-08 लोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में रजौला उर्फ चौधरी पुत्र शिवमंगल कोल निवासी नौबस्ता थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट का नाम प्रकाश में आया। विवेचना को तत्कालीन नि0 श्री केशव प्रसाद दुबे द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त रजौला उपरोक्त को गिरफ्तार करते हुये दिनांक 16.01.2019 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया

प्रेस नोट:-चित्रकूट पुलिस

माननीय न्यायालय सिविल जज (सी0डि0) द्वारा आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त को जुर्म स्वीकार के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 3000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकांत राय एवं पैरोकार आरक्षी अबरार हुसैन द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अभियोजन अधिकारी शशिकांत यादव द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय सिविल जज सी0डि0 श्री सचिन दीक्षित द्वारा आज दिनांक 24.09.2026 को थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 22/2022 धारा 3/25

आर्म्स एक्ट के आरोपी अभियुक्त अजय सिंह पुत्र सुरेश निवासी पथरामानी थाना जनपद चित्रकूट को जुर्म स्वीकार के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 3000/- रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

दिनांक-24.09.2026

अनंत चतुर्दशी/गणेश प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने कर्वी शहर में किया पैदल गस्त, गणपति पंडालों का भ्रमण कर आयोजकों से किया संवाद

कल दिनांक 25.09.2026 को अनंत चतुर्दशी एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन के दृष्टिगत जनपद चित्रकूट में शांति एवं कानून-व्यवस्था, सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा कर्वी शहर में पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रमुख बाजारों, संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस दौरान गणपति पंडालों का भ्रमण कर आयोजकों से वार्ता की गई तथा गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करने, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा आयोजकों से पंडालों की सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। साथ ही पुलिस अधिकारियों को गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था सुचारू रखने एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सतर्क निगरानी रखने के निर्देश दिए गए।

इसके उपरांत पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना कोतवाली कर्वी स्थित महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर आने वाली शिकायतों, रजिस्ट्रों एवं पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सहायता की जानकारी ली गई। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त पुलिसकर्मियों को महिलाओं एवं बालिकाओं की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुनकर त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए।

इस दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पीआरओ पुलिस अधीक्षक श्री पंकज तिवारी व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।